भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3249
दिनांक 12 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी

3249. श्री बी॰ वाई राघवेन्द्रः
श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के दिनों में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण महिलाओं का शोषण हुआ है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;
(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महिलाओं के शोषण के मामलों या घटनाओं की राज्य/वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ङ) क्या सरकार ने महिलाओं के खिलाफ इस तरह के शोषण को रोकने और उन्हें आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई उपाय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2015-16 में किए गए वार्षिक रोजगार - बेरोजगार (ईयूएस) सर्वेक्षणों के अंतिम तीन राऊंड के अनुसार, 15 वर्ष और उससे उपर की लड़कियों के लिए कर्मचारी जनसंख्या अनुपात क्रमशः 25.0 प्रतिशत, 29.6 प्रतिशत तथा 25.8 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकडों के अनुसार, बलात्कार (भारतीय दंड संहिता की धारा 376) के अंतर्गत 2015 में 34,651 और 2016 में 38,947 मामलों की सूचना दी गई थी। वर्ष 2015 तथा 2016 के दौरान महिलाओं की गरिमा का अपमान (भारतीय दंड

संहिता की धारा 509) के अंतर्गत क्रमशः 8685 तथा 7305 मामले पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015 और 2016 के दौरान महिला की गरिमा का घोर अपमान करने के आशय की दृष्टि से हमला करने (भारतीय दंड संहिता की धारा 354) के अंतर्गत क्रमशः कुल 82422 तथा 81346 मामलें पंजीकृत किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित किए गए मामलों की वर्ष-वार संख्या अनुलग्नक में निर्दिष्ट है।

(ड) और (च) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को लागू कर रहा है, जिसमें, आयु और रोजगार संबंधी स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी महिलाओं को शामिल किया गया है और यह अिधनियम उन्हें सभी कार्यस्थलों, चाहे वे संगठित हो या असंगठित पर लैंगिक उत्पीडन से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम में विद्यार्थियों, शिक्षुओं, श्रमिकों, घरेलू कर्मचारियों तथा महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है।

इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण हेतु लैंगिक उत्पीडन इलैक्ट्रानिक बाक्स (शी-बोक्स) शीर्षक वाली ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली का विकास किया है। यह शी-बोक्स पोर्टल सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों सहित देश में सभी महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन की ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा प्रदान करता है।

*****

अनुलग्नक

"आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी" के संबंध में दिनांक 12.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा प्रश्न संख्या 3249 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

वर्ष 2015 और 2016 के दौरान बलात्कार, महिला की गरिमा का घोर अपमान करने के आशय की दृष्टि से हमला करने और महिला की गरिमा का अपमान करने के अंतर्गत पंजीकृत (एनसीआरबी) मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार		महिला की शीलभंग करने के आशय से उस पर हमला (आईपीसी की धारा 354)		महिला की शीलभंग करना (आईपीसी की धारा 509)	
		2015	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**
1	आंध्र प्रदेश	1027	994	4616	4829	2200	1831
2	अरुणाचल प्रदेश	71	92	101	109	2	10
3	असम	1733	1779	4293	3378	111	34
4	बिहार	1041	1008	198	324	96	167
5	छत्तीसगढ़	1560	1626	1868	1770	53	101
6	गोवा	86	61	150	143	34	32
7	गुजरात	503	982	1164	1224	73	59
8	हरियाणा	1070	1187	1886	1860	90	124
9	हिमाचल प्रदेश	244	252	434	410	58	49
10	जम्मू और कश्मीर	296	256	1343	1235	175	153
11	झारखंड	1053	1109	844	667	10	13
12	कर्नाटक	589	1655	5112	5260	154	160
13	केरल	1256	1656	3987	4029	267	328
14	मध्य प्रदेश	4391	4882	8049	8717	390	358
15	महाराष्ट्र	4144	4189	11713	11396	1119	924
16	मणिपुर	46	55	84	65	2	5
17	मेघालय	93	190	95	68	20	17
18	मिजोरम	58	23	75	71	2	1
19	नागालैंड	35	26	8	14	9	8
20	ओडिशा	2251	1983	6499	8252	472	437
21	पंजाब	886	838	1123	1025	27	10
22	राजस्थान	3644	3656	4813	4839	9	15
23	सिक्किम	5	92	21	34	2	11
24	तमिलनाडु	421	319	1163	854	20	27
25	तेलंगाना	1105	1278	3608	377	1288	1003
26	त्रिपुरा	213	207	352	214	6	1
27	उत्तर प्रदेश	3025	4816	7885	11335	11	35
28	उत्तराखंड	283	336	318	334	12	3
29	पश्चिम बंगाल	1199	1110	5069	4177	455	449
30	अंडमान और निकोबार	36	30	57	46	5	2
31	चंडीगढ़	72	68	76	76	10	13
32	दादर एवं नागर हवेली	8	14	5	1	0	1
33	दमन और दीव	5	12	7	4	0	2
34	दिल्ली	2199	2155	5367	4165	1492	918
35	लक्षद्वीप	0		6	1	1	1
36	पुदुचेरी	3		33	43	10	3
	संपूर्ण	**34651**	**38947**	**82422**	**81346**	**8685**	**7305**